केस स्टडी-18/2024

जारी तिथि : 08.08.2024

घटनाक्रम:- दिनांक 01.08.2024 को ट्रेन क्र. 18519, सेक्शन: PA-LTT में कार्य करते समय लोनावला (LNM) स्टेशन के पास BP प्रेशर ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से ट्रेन खड़ी हो गई। निरीक्षणोपरांत पाया गया कि पिछले कैब में एक अनधिकृत व्यक्ति बैठा है और उसने BP प्रेशर ड्रॉप किया, जिस कारण ट्रेन सेक्शन में विलंबित हुई व परिणामत: अन्य गाडियाँ भी विलंब हुई। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने अनधिकृत व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

संभावित कारण:-

- ❖ पुणे स्टेशन पर प्रस्थान से पहले या सेक्शन के किसी हॉल्ट स्टेशन पर अनधिकृत व्यक्ति का पिछले कैब में प्रवेश करना।
- ❖ सहायक लोको पायलट द्वारा पिछले कैब के दरवाजे को अंदर से बंद करके लेच (Latch) का न लगाना।
- ❖ कर्मीदल द्वारा सुनिश्चित न करना कि लोको के पिछले कैब में कोई अनधिकृत व्यक्ति तो नहीं है।

संभावित स्थिति एवं सबक:-

- ✓ अनधिकृत व्यक्ति, कर्मीदल को चोट पहुंचा सकता है।
- ✓ अनधिकृत व्यक्ति द्वारा ब्रेक या अन्य उपकरणों के छेड़-छाड़ / हस्तक्षेप करने से दुर्घटनाएँ भी हो सकती हैं।
- ✓ गाड़ी कार्य करते समय हमेशा पिछले कैब के दरवाजे/खिड़की को अंदर से बंद करके लेच (Latch)/लॉक लगाना न भूलें।
- ✓ सभी कर्मीदल को स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित हेतु नियमित पिछले कैब की जांच की जानी चाहिए।

उपरोक्त कदमों को अपनाकर हम अनधिकृत प्रवेश को रोक सकते हैं और हम स्वयं का तथा यात्रियों का सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

(निखिल सिंह)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।